

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.11.2015 का कार्यवृत्त


स्थान: कुलपति कान्फ्रेंस कक्ष
समय दोपहर 12.30 बजे

उपस्थिति:-

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर	अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
5. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्य-वृत्त

- (क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
(ख) वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
- विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2015-16 के कतिपय मदों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2015-16 के बैंक सराधन मद में रू० 8,00,000.00 (रूपये आठ लाख) में रू० 5,00,000.00 (रूपये पाँच लाख) की बढ़ोत्तरी किये जाने की संस्तुति की गयी। जो बजट सत्र 2015-16 के अधीन होगा।
- कुलपति टी-20' क्रिकेट टूर्नामेण्ट पर होने वाले व्यय की स्वीकृति पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति कुलपति टी-20 टूर्नामेण्ट पर होने वाले व्यय रू० 8,00,000.00 (रूपये आठ लाख) का 75 प्रतिशत के अन्तर्गत रू० 6,00,000.00 (रूपये छः लाख) कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त दिये जाने तथा शेष रू० 2,00,000.00 (रूपये दो लाख) टूर्नामेण्ट समाप्त होने के बाद बिल/बाउचर प्रस्तुत करने के उपरान्त दिये जाने की संस्तुति की गयी।
- बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक) एवं बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक एवं पोस्ट) पाठ्यक्रम हेतु फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करने हेतु कुलसचिव (सम्बद्धता) के प्रस्ताव पर विचार।
बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक) एवं बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक एवं पोस्ट) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी के पत्रांक संख्या 10490/15 दिनांक 20.10.2015 के अनुसार शिक्षण शुल्क रू० 4000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वित्त समिति वर्ष भर में कुल रू० 48000.00 (रूपये अड़तालिस हजार) तथा वार्षिक परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में रू० 5,000.00 (रूपये पाँच हजार) लिये जाने की संस्तुति की गयी।
- बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक) एवं बी०एस-सी० नर्सिंग (बेसिक एवं पोस्ट) पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क निर्धारित करने हेतु कुलसचिव (सम्बद्धता) के प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति बी०एड० एवं बी०पी०एड० पाठ्यक्रम की भाँति बी०एस-सी० (नर्सिंग) बेसिक एवं बी०एस-सी० (नर्सिंग) पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क रू० 1,50,000.00 (रूपये एक लाख पचास हजार) निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।
- परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15.07.2015 की कार्यवृत्त की विन्दु सं० 12 पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं गृहविज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (बहुविकल्पी) प्राश्निकों की दर विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवेश परीक्षा की दर वित्त समिति बैठक दिनांक 19.05.2011 के बिन्दु संख्या-3(6)1 निर्धारित दर रू० 40/- प्रति प्रश्न की संस्तुति प्रदान की गयी।



7. डा0 विनोद प्रसाद के यात्रा देयक वर्ष 2013-14 के भुगतान पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा डा0 विनोद प्रसाद के यात्रा देयक वर्ष 2013-14 के भुगतान के सम्बन्ध में पुर्नपरीक्षण कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

8. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओ पर विचार।

(i) डा0 के0 के0 श्रीवास्तव, अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्सक, स्वास्थ्य केन्द्र के आवेदन दिनांक 03.10.2015 के द्वारा प्रतिमाह मानदेय वृद्धि पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने डा0 के0के0श्रीवास्तव, अंशकालिक होम्योपैथिक चिकित्सक, स्वास्थ्य केन्द्र को प्राप्त मानदेय रू0 15000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रू0 22500/- प्रतिमाह दिये जाने की संस्तुति की।

(ii) अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद के आवेदन दिनांक 07.11.2015 में अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक एवं 06.11.2015 में अखिल भारतीय अन्तरविश्वविद्यालय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को क्रीड़ा परिषद मद से भुगतान किये जाने संस्तुति की गयी।

(iii) अध्यक्ष, कर्मचारीसंघ के पत्र दिनांक 14.11.2015 द्वारा विश्वविद्यालय कर्मियों को मेडीक्लेम सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 के विन्दु संख्या-24 पर लिये गये निर्णय में मेडीक्लेम पालिसी के लिये देय प्रीमियम की धनराशि का 60 प्रतिशत अंश दान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा 40 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारियों के वेतन से देय होगा परन्तु कर्मचारियों की मांग पर वित्त समिति ने पुर्नविचार करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा 60 प्रतिशत अंशदान के स्थान पर 70 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत किये जाने की संस्तुति प्रदान की।

अध्यक्ष द्वारा मेडिकलेम पालिसी लागू करने हेतु निम्नलिखित की कमेटी गठित की जाती है:-

1. अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय - संयोजक
2. डा0 (श्रीमति) लक्ष्मी सुमन (चिकित्साधिकारी) - सदस्य
3. डा0 के0के0 श्रीवास्तव - सदस्य
4. श्री पी0एन0सिंह, लेखाधिकारी - सदस्य


समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय हेतु उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर संस्था का चयन करते हुए अपनी आख्या कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(iv) श्री प्रवीण कुमार राना, स्टोर कीपर, रसायन विभाग के पत्र दिनांक 25.06.2015 पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने आवेदन विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित न होने एवं कार्य लिये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र न होने के कारण विचार नहीं किया गया।

(v) बी0बी0 सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1171/सत्तर-4-2015 दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के आवश्यक व्ययों को वहन करने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारो परान्त वित्त समिति द्वारा प्रो0 राजेन्द्र प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को आने एवं जाने हेतु होने वाले व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किये जाने की संस्तुति की गयी।


(vi) परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 के विन्दु सं0 1 (ख) में लिए गये निर्णय में न्यूनतम पारिश्रमिक स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा शोध निबन्धन के भुगतान पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रायोगिक/मौखिकी के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक स्नातक हेतु रू0 300=00, स्नातकोत्तर हेतु रू0 450=00 तथा शोध निबन्धन का रू0 100=00 निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।


१५ २ 


(vii) परीक्षा नियन्त्रक के साथ सम्बद्ध कर्मचारियों के मानदेय भुगतान पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने पूर्व में वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के बिन्दु सं० (v) के बिन्दु 4 में लिये गये निर्णय में संशोधन करते हुए दो तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मानदेय भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी।


(viii) परीक्षा नियन्त्रक द्वारा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.08.2015 के बिन्दु सं० 2 में विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर पी०डी०एफ० फाइल बनाकर छात्र को उपलब्ध कराने हेतु शुल्क निर्धारण पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति ने ई-मेल द्वारा छात्रों को तत्काल उत्तरपुस्तिका दिखाने हेतु रू० 300.00 प्रति छात्र शुल्क लेने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।


अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य


क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
सदस्य


परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य


वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति


कुलप्रति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 का कार्यवृत्त

स्थान: कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष

समय पूर्वाह्न 11.30 बजे

उपस्थिति:-

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) | सदस्य |
| 4. कुलसचिव, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 5. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 6. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सचिव |

कार्य-वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.04.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.04.2015 की कार्यवाही की औपचारिक सम्पुष्टि की गयी।

2. CPMT परीक्षा 2015 के वित्तीय प्रकरणों पर विचार—

(क) वित्त समिति द्वारा पूर्व में पारित CPMT 2015 के पारिश्रमिक दरों के पुनरीक्षण सम्बन्धी समन्वयक के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में पारित CPMT 2015 के पारिश्रमिक दरों के पुनरीक्षण सम्बन्धी समन्वयक के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) केन्द्राध्यक्षों एवं नोडल अधिकारियों को वाहन किराया हेतु किये गये भुगतान स्वीकृति पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा केन्द्राध्यक्षों एवं नोडल अधिकारियों को वाहन किराया हेतु किये गये वास्तविक भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ग) विश्वविद्यालय आब्जर्बर्स की कुल वास्तविक संख्या को स्वीकार करते हुए भुगतानित धनराशि की स्वीकृति करते हुए बजट सीमा में वृद्धि पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जिसमें सी०पी०एम०टी० बजट बनाते समय विश्वविद्यालय आब्जर्बर्स सम्बन्धी मद जिसकी कुल सं० 65 है जिसको बजट में पृष्ठ सं०

6 के **Estimated Expenses on Observers/City Representative** में क्रम सं० 2 तथा

3 के मध्य सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आब्जर्बर्स की कुल संख्या पर व्यय स्वीकार करते हुए निम्नांकित सीमा तक भुगतानित धनराशि की बजट सीमा में वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी।

विश्वविद्यालय आब्जर्बर्स	रु० 4,000/- नियत मानदेय रु० 2,000/- प्रतिदिन बोर्डिंग एण्ड लाजिंग ए एण्ड वी शहर रु० 1500/- प्रतिदिन बोर्डिंग एण्ड लाजिंग अन्य शहरों के लिए रु० 300/-प्रतिदिन फुड चार्ज
--------------------------	---

(घ) ऐसे सिटी आब्जर्बर्स जिसे अपने जनपद से अन्य जनपद में सिटी आब्जर्बर्स के रूप में तैनात किया गया है, उनको टी०ए० एवं लाजिंग हेतु होटल व्यय दिये जाने पर विचार।

५२

सजीरा

२

५

५

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को वास्तविक सीमा तक व्यय किये गये धनराशि को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(च) जिलाधिकारी/जिला कोषागार अधिकारी कार्यालय को किये गये भुगतान को अनुमन्य तथा स्वीकार किये जाने पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिलाधिकारी/जिला कोषागार अधिकारी कार्यालय को किये गये वास्तविक भुगतान (अधिकतम रू0 10,000/- प्रत्येक) को अनुमन्य तथा स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(छ) बजट में पृष्ठ संख्या 06 के क्रम सं0 2 पर वर्णित सीटी रिप्रेजेन्टीव के आगे आउटसाइड आबजबर्स को विलुप्त मानते हुए उनकी संख्या 45 के स्थान पर कुल नोडल सं0 के आधार पर 15 माना जाय पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

3. प्राणि विज्ञान विभाग के अन्तर्गत एम0एस-सी0 पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम के शुल्क वृद्धि हेतु समन्वयक के प्रस्ताव पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्राणि विज्ञान विभाग के अन्तर्गत एम0एससी0 पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम के शुल्क वृद्धि हेतु समन्वयक के प्रस्ताव में से केवल मैनेजमेंट कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले छात्रों के ही शुल्क में वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी।

4. स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रवेश परीक्षाओं में कार्यपर लगाये जाने पर अन्य कर्मचारियों की भौति पारिश्रमिक दिये जाने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों को प्रवेश परीक्षाओं में कार्य पर लगाये जाने पर अन्य कर्मचारियों की भौति पारिश्रमिक दिये जाने की संस्तुति की गयी।

5. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.03.2015 के निर्णय के विन्दु संख्या-40 पर उल्लिखित कार्यपरिषद के निदेश के अनुपालन में वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 के विन्दु संख्या-27 (क) पर पुनर्विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा दिनांक 26.सितम्बर, 2013 के शासनादेश को लागू किये जाने एवं शेष को शासन को संदर्भित किये जाने की संस्तुति की गयी।

6. ट्रापिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्युपमेंट क0, बाम्बे के जमानत धनराशि की वापसी पर विचार।

ट्रापिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्युपमेंट कम्पनी, बाम्बे के जमानत धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता (विद्युत) से एक माह के अन्दर पत्रावली उपलब्ध कराये जाने का समय दिया जाय। यदि पत्रावली उक्त अवधि में उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों से जमानत धनराशि को बराबर-बराबर हिस्से में बांटकर रिकवरी किये जाने की संस्तुति की गयी।

7. प्रो0 एच0एस0शुक्ला के पत्र पर विचार।

(क) समन्वयक रेट के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में।

समिति ने प्रो0 एच0एस0शुक्ला, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय एवं समन्वयक रेट परीक्षा-2013 के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2015 का संज्ञान लिया। इस परीक्षा तथा पूर्व में पारिश्रमिक भुगतान के सम्बन्ध में

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति अध्यक्ष एलुमनायी एसोशिएशन के प्रस्ताव से सैद्धान्तिक रूप से सहमत हुई तथा यह निर्दिष्ट किया गया कि एलुमनायी एसोशिएशन की एक नियमावली तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त उसके वित्तीय अर्थोपाय के सम्बन्ध में पुनः सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

- (iv) प्रो० डी०के०सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 09.05.2014 द्वारा श्री चन्द्रकान्त चौबे से कार्यालयी कार्यों के अतिरिक्त पर्यावरण विज्ञान विभाग से सम्बन्धित कार्य लिये जाने के लिए रू० 500/- (रू० पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह मानदेय दिये जाने हेतु अनुरोध किया है, पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान विभाग के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।
- (v) विश्वविद्यालय लेखा विभाग में कार्यरत कैशियर श्री सुधीर चन्द्र अग्रवाल के द्वारा कार्य परिषद, विद्यापरिषद, वित्त समिति में भाग लेने वाले वाह्य माननीय सदस्यों के यात्रा-भत्ता के नगद भुगतान हेतु रू० 10,000/- (रू० दस हजार) मात्र के स्थायी अग्रिम की मांग पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति लेखा विभाग में कार्यरत कैशियर श्री सुधीर चन्द्र अग्रवाल के उक्त माँग को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।
- (vi) श्री राकेश लाल श्रीवास्तव, नैतिक लिपिक, कुलपति कार्यालय के पत्र दिनांक 20.06.2015 द्वारा कुलपति कार्यालय में कार्यरत अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भौति मानदेय की मांग किये है, पर विचार। वित्त समिति सम्यक विचारोपरान्त श्री राकेश लाल श्रीवास्तव नैतिक लिपिक, कुलपति कार्यालय के उक्त माँग को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की।
- (vii) आल इण्डिया सर्वे/रूसा का कार्य विगत सितम्बर, 2013 से हो रहा है जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी श्री बुगदाद अली, वरिष्ठ सहायक, श्री रोहित शर्मा, कनिष्ठ सहायक, श्री बीरबल, परिचर, श्री दीपू डाटाइन्ट्री आपरेटर कार्यालय समय से पूर्व एवं बाद तथा अवकाश के दिनों में कार्य किये है, जिसके लिये पाली/मानदेय की माँग किये है पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को अगली वित्त समिति में रखे जाने की संस्तुति की गयी।
- (viii) विश्वविद्यालय के समस्त डाटा इण्ट्री आपरेटर शासनादेश संख्या 33/2015-वे०आ०-2-545/दस-54(एम)2008 टी०सी० दिनांक 18 जून, 2015 जो पदनाम सृजन के सम्बन्ध में है जिसे 26 सितम्बर, 2013 से लागू करने हेतु कहा गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को पदनाम एवं ग्रेड पे प्रदान करने की मांग पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त शासनादेश के क्रम में समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को पदनाम एवं ग्रेड पे प्रदान करने की मांग पर एक कमेटी गठन की संस्तुति की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

1. कुलसचिव
2. उपकुलसचिव

सतीश



समस्त पत्रजातों का अवलोकन किया और यह पाया कि रेट-2013 से पूर्व भी समन्वयक को एक ईकाई मानकर भुगतान हुआ है तथा रेट-2013 में भी विभिन्न विषयों हेतु प्रश्न पत्र तैयार किये गये थे जिसमें एक्सपर्ट, माडरेटर, रिव्युवर पृथक-पृथक तैयार किये गये थे एवं उनके कार्यों के अनुसार भुगतान किया गया है। अतः पत्र में उल्लिखित विन्दु सं० 8 का यह कथन स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। विन्दु संख्या-10 में सह समन्वयक को रू० 7335/- का भुगतान किया गया था और समन्वयक को रू० 5000/- पारिश्रमिक संस्तुत किया है, इस सम्बन्ध में समिति ने विचार किया और रू० 5000/- से बढ़ाकर रू० 10,000/- इस शर्त के आधार पर किया गया है कि भविष्य में इसे उदाहरण न बनाया जाय। प्रो० शुक्ल द्वारा अपने पत्र में लिखे गये निर्णय को दुर्भावनाग्रस्त कहा गया है जिसे समिति ने गम्भीरता से लिया तथा समिति की इस मनोभावना से प्रो० शुक्ल को सूचित करने का निर्णय लिया।

(ख) प्री पी-एच०डी० देयकों के भुगतान करने के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा प्री०पी-एच०डी० देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया गया। पूर्व वित्त समिति के निर्णय के अनुसार अधिकतम सीमा 40 पीरिएड प्रति शिक्षक तथा रू० 400/- प्रति पीरिएड की दर से भुगतान इस प्रकार किया जाय कि यदि प्री पीएच० डी० कोर्स की आय से पूर्ण भुगतान सम्भव न हो तो सामान्य निधि से भुगतान की कार्यवाही की जाय। यह निर्णय विशेष परिस्थिति में लिया जा रहा है और भविष्य में संचालित प्री पीएच० डी० कोर्स से आय और व्यय में सामन्जस्य स्थापित करते हुए आय की सीमा के अनुसार ही दरे निर्धारित की जाय।

8. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

(i) आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18.12.2012 के विन्दु संख्या-5 पर लिये गये निर्णय "किसी संस्था द्वारा सेवा निवृत्त शिक्षकों को फेलोशिप/प्रोजेक्ट स्वीकृत होने पर उन्हें आवास आवंटित किये जानें पर उनसे लिए जाने वाले आवास किराये(सामान्य दर) के निर्धारण के प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया गया" पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 18.12.2012 के विन्दु संख्या-5 पर लिये गये निर्णय को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ii) प्रो० एन०एन० त्रिपाठी, अध्यक्ष, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के पत्र दिनांक 25.6.2015 द्वारा औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के खाता संख्या 20189225180 से रू० 20,00,000/-(रू० बीस लाख) मात्र विभाग के नाम फिक्स्ड डिपोजिट करने पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष, औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी विभाग के प्रस्ताव को यथावत् स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(iii) डा० संजय बैजल, अध्यक्ष, एलुमनायी एसोशिएशन ने पत्र देकर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों(स्ववित्त पोषित सहित)स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रू. 100/-(एक सौ रूपया) मात्र एलुमनायी एसोशिएशन मेम्बरशिप के रूप में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से लिजये जाने का अनुरोध किया है पर विचार।

phs.

सतीश

7

3. लेखाधिकारी

(ix) प्रो०सी०पी० श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं समन्वयक दर्शनशास्त्र विभाग, योग अध्ययन एवं अभ्यास केन्द्र के पत्र दिनांक 12.3.2015 द्वारा दर्शन शास्त्र विभाग में कार्यरत श्री ओम प्रकाश सिंह, कार्यालयी कार्य के अतिरिक्त योग डिप्लोमा के कार्यालय का भी कार्य देखते हैं जिसके लिये अतिरिक्त कार्य करने के लिए श्री सिंह को मानदेय देने का अनुरोध किये हैं पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष एवं समन्वयक दर्शनशास्त्र विभाग, योग अध्ययन एवं अभ्यास केन्द्र के उक्त प्रस्ताव पर श्री ओम प्रकाश सिंह, कार्यालय अधीक्षक दर्शन शास्त्र विभाग को रू० 500/- (रू० पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।

(x) प्रो० ईश्वरशरण विश्वकर्मा, रूसा समन्वयक के पत्र दिनांक 29.06.2015 पर विचार।

समिति प्रो० ईश्वरशरण विश्वकर्मा, रूसा समन्वयक के पत्र दिनांक 29.06.2015 से अवगत हुई।

(xi) प्रवेश परीक्षा-2015 के बी०एस-सी०, बी०ए०, बी०काम० के मेरिटलिस्ट में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

समिति द्वारा स्नातक स्तर पर (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम को छोड़कर) प्रवेश परीक्षाओं में मेरिट सूची में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र/छात्रा, यदि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तो, उसके शिक्षण शुल्क को वर्ष 2015-16 के लिये मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

(xii) कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 24.06.2015 जिसमें कर्मचारियों के मेडिकलेम सुविधा पर आने वाले व्यय को सी०पी०एम०टी० प्रवेश परीक्षा से भुगतान पर विचार।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव औचित्यहीन है अतः स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

(xiii) प्रो० अजेय कुमार गुप्ता, प्रभारी, ई०डी०पी० सेल द्वारा प्रस्तुत स्थायी अग्रिम हेतु भुगतान पर विचार।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रभारी ई०डी०पी० सेल द्वारा प्रस्तुत स्थायी अग्रिम भुगतान हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा अन्य विभागों की भाँति भुगतान किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

प्रो० सतीश कुमार
(का०पी० द्वारा नामित, सदस्य)

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.04.2015 की कार्यवृत्ति

स्थान: कुलपति कान्फेन्स कक्ष

समय अपरान्ह 4.00 बजे

उपस्थिति:-

- | | |
|--|---------|
| 1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर | अध्यक्ष |
| 2. प्रो० सतीश कुमार, राजनीतिशास्त्र विभाग एवं निदेशक-नेहरू स्टडी सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (का०प०द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) | सदस्य |
| 5. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 6. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सचिव |

कार्य-वृत्त

1. सी०पी०एम०टी०-2015 से सम्बन्धित-

(क) सी०पी०एम०टी०-2015 के बजट प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सी०पी०एम०टी०-2015 के बजट प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

(ख) कोर कमेटी द्वारा लिए गये वित्तीय निर्णय सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ।

(i) (अ) वित्त समिति सी०पी०एम०टी० कोर कमेटी की बैठक दिनांक 12.03.2015 के निर्णय

“ सी०पी०एम०टी०-2015 के आयोजन के लिए केन्द्राध्यक्ष एवं पारिश्रमिक की दरों को स्वीकृति प्रदान की गयी।” (बिन्दु सं०-2) से अवगत हुई एवं समिति द्वारा उक्त का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की गयी।

(ब) वित्त समिति द्वारा सी०पी०एम०टी०-2015 कोर कमेटी की बैठक दिनांक 12.03.2015 के निर्णय ‘उक्त परीक्षा के आन लाइन संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, विश्वविद्यालय शाखा, गोरखपुर में एक चालू खाता/स्वीप खाता खोलने का निर्णय लिया गया। उक्त खाते का संचालन संयुक्त रूप से वित्त अधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा।’ (बिन्दु सं०-4) से अवगत होते हुए उक्त की सहमति प्रदान की गयी।

(ii) (अ) वित्त समिति द्वारा सी०पी०एम०टी० कोर कमेटी-2015 की बैठक दिनांक 21.04.2015 के निर्णय

‘समिति द्वारा गोपनीय कार्यों के दृष्टिगत अध्यक्ष, सी०पी०एम०टी०-2015 के नाम एक पृथक खाता इलाहाबाद बैंक विश्वविद्यालय शाखा गोरखपुर में खोलने का निर्णय लिया गया।’ (बिन्दु सं०-6) से अवगत होते हुए उक्त की सहमति प्रदान की गयी।

(ब) वित्त समिति द्वारा सी०पी०एम०टी० कोर कमेटी-2015 की बैठक दिनांक 21.04.2015 के निर्णय कि “भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराये गये तकनीकी कारणों से

५५


२७


✓


सतीश


सी0पी0एम0टी0-2015 से सम्बन्धित भुगतान हेतु पृथक खाता खोला जाना आवश्यक है। अतः भारतीय स्टेट बैंक, विश्वविद्यालय शाखा गोरखपुर में खाता खोले जाने का निर्णय लिया गया। " से अवगत होते हुए सहमति प्रदान की गयी।


अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।



संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य


क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य


प्रो० सतीश कुमार
सदस्य (का०प०द्वारा नामित)


परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य


वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति


कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 की कार्यवृत्ति

स्थान: कुलपति कान्फेन्स कक्ष
समय मध्याह्न 12.00 बजे

उपस्थिति:-

- | | |
|---|---------|
| 1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर | अध्यक्ष |
| 2. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा) | सदस्य |
| 4. कुलसचिव, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 5. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सदस्य |
| 6. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | सचिव |

कार्य-वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की कार्यवाही के विन्दु सं० 12 एवं विन्दु संख्या 21 (घ) पर पुर्नविचार करते हुए निम्नवत निर्णय लिये गये।

- (क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 के विन्दु संख्या 12 पर आगामी वित्त समिति की बैठक में निर्णय लिया जायेगा।
- (ख) वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 के विन्दु संख्या 21(घ) पर श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष कर्मचारी संघ के पत्र के आधार पर पुर्नविचार करते हुए परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में संलग्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू० 90/- प्रतिपाली की जगह रू० 100/- प्रतिपाली की दर से पारिश्रमिक दिये जाने की संस्तुति की गयी।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 की कार्यवाही के शेष विन्दुओं की सम्पुष्टि की गयी।

2. विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2015-16 पर विचार।
वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के बजट सत्र 2015-16 को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी।

3. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।

- (क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 के विन्दु संख्या 11 पर गठित समिति द्वारा कर्मचारियों के मानदेय/पारिश्रमिक के प्रस्तावों पर समिति की संस्तुतियों पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियों पर वित्त समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिये गये-

- (i) जनसूचना कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यालय अवधि के अतिरिक्त समय में तथा अवकाश के दिनों में कार्य करने के फलस्वरूप कार्यालय में कार्यरत अधिकतम दो कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके मूलवेतन के 50 प्रतिशत की धनराशि मानदेय के रूप में दिये जाने की संस्तुति की गयी।
- (ii) व्यवसाय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित बी० बी० ए० पाठ्यक्रम में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अन्य स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों (एम० बी० ए० को छोड़कर) की भौतिकरू०

X



27

7000/—(सात हजार) प्रतिमाह देय होगा, तथा वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 के विन्दु संख्या-13 पर लिये गये निर्णय इनपर भी लागू होगा।

- (iii) लेखा विभाग के कर्मचारियों को अपने पटल के अतिरिक्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों एवं अन्य लेखाओं के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य हेतु सम्बन्धित कर्मचारी को रू. 500/—(पाँच सौ) की जगह रू0 1000/—(एक हजार) प्रतिमाह देय होगा।
- (iv) शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2014 के फार्मों की प्राप्ति एवं प्रेषण में लगे कर्मचारियों को रू0 5/— (पाँच) प्रति आवेदन पत्र तथा उक्त कार्य के डाटाफिडिंग एवं प्रोसेसिंग में लगे कर्मचारियों को रू0 10/—(दस) प्रति आवेदन पत्र पारिश्रमिक देय होगा। उक्त भुगतान रू0 15/— (पन्द्रह) प्रति आवेदन पत्र की दर से गणना की गयी कुल धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही देय होगा। लेखा विभाग में ड्राफ्टों की प्राप्ति, अनुरक्षण एवं बैंक खाते में जमा कराने के कार्य में लगे कर्मचारियों को रू0 5/—(पाँच) प्रति ड्राफ्ट की दर से पारिश्रमिक देय होगा।
- (v) कुलपति/वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में कार्यरत तृतीय संवर्ग एवं चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारियों को अवकाश के दिनों, कार्यालय अवधि के पूर्व एवं देर रात्रि तक रुक कर कार्य करने वाले कर्मचारियों को निम्नवत मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी—

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए—

1. कुलपति कार्यालय 4 व्यक्तियों (सचिव कुलपति एवं तीन अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी) को रू0 2250/— प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति
2. कुलसचिव कार्यालय में वैयक्तिक सहायक को रू0 2250/— प्रतिमाह।
3. वित्त अधिकारी कार्यालय में वैयक्तिक सहायक को रू0 2250/— प्रतिमाह।
4. परीक्षा नियंत्रक के साथ सम्बद्ध तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू0 2250/— प्रतिमाह।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये—

1. कुलपति कार्यालय - 2 व्यक्ति को रू 500/— प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह
2. कुलसचिव कार्यालय - 2 व्यक्ति को रू 500/— प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह
3. वित्त अधिकारी कार्यालय - 1 व्यक्ति को रू 500/— प्रतिमाह
4. परीक्षा नियंत्रक के साथ सम्बद्ध कर्मचारी को - 1 व्यक्ति को रू 500/— प्रतिमाह

- (vi) अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ संवर्ग के कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति के डाटा फिडिंग कार्य के लिए कार्यालय अवधि के अतिरिक्त एवं अवकाश के दिनों में रुक कर कार्य करने पर मूलवेतन का 50 प्रतिशत की धनराशि मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।
- (vii) सम्बद्धता विभाग में कार्यालय अवधि के अतिरिक्त/अवकाश के दिनों एवं देर रात तक रुक कर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मूलवेतन का 50 प्रतिशत मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।
- (viii) परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव पर समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये अनुमन्य पारिश्रमिक दरों में निम्नवत वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी—
- (क) सारिणीयन पंजिका संशोधन 0.75 पैसा प्रति छात्र से बढ़ाकर रू0 2.00।

- (ख) परितुलन कार्य 1.20 पैसा प्रति छात्र से बढ़ाकर रू0 2.00।
 (ग) पाली भुगतान की सीमा तृतीय श्रेणी हेतु रू0 40,000/- से बढ़ाकर रू0 60,000/-।
 (घ) पाली भुगतान की सीमा चतुर्थ श्रेणी हेतु रू0 40,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/-।
 (ङ) अंक पत्र मिलानकर्ता 80 पैसा प्रति छात्र (दो व्यक्ति) से बढ़ाकर 1.50 पैसा।
 (च) अंक पत्र पर हस्ताक्षर 13 पैसा प्रति छात्र से बढ़ाकर 50 पैसा।
 (छ) अंक पत्र पर सारणीयन पंजिका से मिलान 10 पैसा प्रति छात्र से बढ़ाकर 50 पैसा।
 (ज) बण्डल की लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य हेतु रू0 5/- प्रति बण्डल से बढ़ाकर रू0 7/-।
 यह वृद्धि वार्षिक परीक्षा सत्र 2014-15 से लागू होगा।

(ख) वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.1.2015 के विन्दु संख्या-26 पर एकेडमिक स्टाफ कालेज में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विश्वविद्यालय द्वारा उन पर होने वाले वित्तीयभार का आकलन करने का निर्णय लिया गया था उक्त आकलन पर विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एकेडमिक स्टाफ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का शासन से सृजन होने के फलस्वरूप आने वाले व्यभार को विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से वहन करेगा।

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2014-15 के विभिन्न मदों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट-2014-15 के बैंक संसाधन एवं आर्थिक चिटठा तथा उत्तरपुरस्तिका मुद्रण में लेखा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार बजट सीमा में निम्नवत वृद्धि की जाने की संस्तुति की गयी।

मद	बजट प्राविधान	व्यय	मद में वृद्धि की धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान
1. बैंक संसाधन एवं आर्थिक चिटठा	8,00,000	6,80,000	4,00,000	12,00,000
2. उत्तरपुरस्तिका मुद्रण	2,50,00,000	1,37,30,102	25,00,000	2,75,00,000

उपरोक्त मदों के बजट प्राविधान में की गयी वृद्धि बजट के अन्य मदों के बचत के अधीन होगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर
सदस्य

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
सदस्य

परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य

कुलसचिव
सदस्य

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की कार्यवृत्ति

स्थान: कुलपति कान्फ्रेन्स कक्ष

समय अपराह्न 12.30 बजे

उपस्थिति:-

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, दी०द०उ०गो०वि०, गोरखपुर	अध्यक्ष
2. प्रो० सतीश कुमार, राजनीतिशास्त्र विभाग एवं निदेशक-नेहरू स्टडी सेंटर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (का० प० द्वारा नामित)	सदस्य
3. अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर, (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर (प्रतिनिधि सचिव उच्च शिक्षा)	सदस्य
5. कुलसचिव, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
7. वित्त अधिकारी, दी०द०उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सचिव

कार्य-वृत्त

1. वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.02.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार। वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.02.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
2. वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.03.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार। वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.03.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
3. वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.08.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि पर विचार। वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.08.2014 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।
4. विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट सत्र 2014-15 के विभिन्न मदों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर विचार। वित्त समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट-2014-15 के विद्युत मद तथा परीक्षा विविध मद में लेखा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार बजट सीमा में निम्नवत वृद्धि की जाने की संस्तुति की गयी।

मद	बजट प्राविधान	व्यय	मद में वृद्धि की धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान
1. विद्युत मद	2,50,00,000	2,64,62,682	1,00,00,000	3,50,00,000
2. विविध व्यय (परीक्षा संचालन)	50,00,000	52,27,355	15,00,000	65,00,000

उपरोक्त मदों के बजट प्राविधान में की गयी वृद्धि बजट के अन्य मदों के बचत के अधीन होगी।

5. राज्य स्तरीय संयुक्त बी० एड० प्रवेश परीक्षा-2013 के संचालन के उपरान्त शेष कंडक्ट खाता सं० 50139913794 एवं काउंसिलिंग खाता सं० 50156712984 के अवशेष धनराशि को विश्वविद्यालय के सामान्य खाता में स्थानान्तरित कर अवशेष दायित्व के भुगतान पर विचार। सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा राज्य स्तरीय बी० एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2013 के संचालन के उपरान्त कंडक्ट खाता सं० 50139913794 एवं काउंसिलिंग खाता सं० 50156712984 के अवशेष धनराशि को सामान्य कोष में स्थानान्तरित किये जाने तथा उक्त दोनों खातों के अवशेष दायित्वों के भुगतान की कार्यवाही सामान्य कोष से किये जाने की संस्तुति की गयी। दायित्वों के भुगतान हेतु सामान्य कोष के वर्तमान वार्षिक बजट में एक पृथक मद 'संयुक्त बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2013 से सम्बन्धित व्यय' बनाये जाने की संस्तुति की गयी तथा उक्त मद में 50,00,000/- का बजट प्राविधान किया गया। साथ ही राज्य समन्वयक बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2013 से आय-व्यय, अवशेष दायित्व एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त कर लिये जाने की संस्तुति की गयी।

06. प्राचार्य परिषद, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र एवं महामंत्री डॉ0 संतोष कुमार त्रिपाठी के पत्र दिनांक 26.06.2014 द्वारा परीक्षा शुल्क में से रुपये 100/- महाविद्यालयों को देने के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा संस्थागत छात्रों की परीक्षा शुल्क से रू0 35.00 (पैतीस रुपये मात्र) प्रति अभ्यर्थी महाविद्यालय को आन लाइन फार्म भरने, प्रवेश पत्र एवं जॉच पत्र आदि कार्य किये जाने हेतु देय होगा। यह व्यवस्था सत्र 2015-16 से लागू होगा। साथ ही यह प्राविधान किया गया कि महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क पूरा जमा किया जायेगा तथा रू0 35.00 प्रति छात्र की दर से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा बाद में भुगतान किया जायेगा।
07. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रो0 जितेन्द्र तिवारी एवं महामंत्री डॉ0 शिवाकान्त सिंह ने पत्र द्वारा विश्वविद्यालय परिवार (शिक्षक/कर्मचारी/अधिकारी) को बी0एस0एन0एल0 CUG तन्त्र से जोड़ने के लिए सूचना प्राप्त के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया तथा इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नवत होंगे—
1. अध्यक्ष, क्रय समिति (संयोजक)
 2. डा0 अजेय कुमार गुप्ता, सदस्य
 3. उपकुलसचिव (प्रशासन), सदस्य
 4. लेखाधिकारी, सदस्य
- गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को आगामी वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाय।
08. प्रो0 एच0एस0 शुक्ल, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय के पत्र दिनांक 24.05.2014 द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के विभागाध्यक्ष को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के समन्वयक को रू0 10,000.00 (दस हजार मात्र) प्रतिवर्ष एकमुश्त मानदेय के रूप में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय के 60 प्रतिशत के अधीन भुगतान किये जाने की संस्तुति की गयी। यदि कोई समन्वयक एक से अधिक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के समन्वयक है तो उन्हें एक समन्वयक के रूप में अनुमन्य मानदेय देय होगा।
09. अध्यक्ष, गृहविज्ञान विभाग के पत्र दिनांक 09.04.2014 द्वारा गृह विज्ञान विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे एम0एस-सी0 रिसोर्स मैनेजमेन्ट हेतु होम साइंस पोस्ट ग्रेजुएट एकाउन्ट खोलने के सम्बन्ध में विचार।
- (क) सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु पृथक खाता खोलने की संस्तुति की गयी। उक्त खाते का संचालन वित्त अधिकारी एवं अध्यक्ष/समन्वयक द्वारा किया जायेगा।
 - (ख) सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा एम0एस-सी0 गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले शुल्क को अनुमोदित किया गया।
10. श्री शिवकुमार मल्ल, महाप्रबन्धक बाम्बे सिक्योरिटी एण्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज के पत्र दिनांक 24.05.2014 द्वारा श्रम विभाग के संशोधित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 01 जून, 2014 से एजेन्सी द्वारा आपूर्ति होने वाले प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पारिश्रमिक प्रति माह रू0 6362/- (छः हजार तीन सौ बासठ) करने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत कोटेशन की शर्तों के अधीन भुगतान की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी। समिति द्वारा पारिश्रमिक की दर में किसी प्रकार की वृद्धि को स्वीकार नहीं किया गया।
11. श्री एस0 के0 शुक्ल, कुलसचिव के पत्र दिनांक 26.05.2014 द्वारा सम्बद्धता अनुभाग एवं कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों एवं कार्यालयी समयवधि के पहले व बाद में कार्यों के सम्पादन एवं परिश्रम को देखते हुए अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की भौति पाली तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर मानदेय भुगतान करने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त प्रकरण तथा कर्मचारियों के मानदेय/पारिश्रमिक से सम्बन्धित वित्त समिति में प्रस्तुत अन्य प्रकरणों पर विचार हेतु एक समिति का गठन निम्नवत किया गया—

1. वित्त अधिकारी, संयोजक
2. कुलसचिव, सदस्य
3. परीक्षा नियन्त्रक, सदस्य

उक्त समिति मानदेय/पारिश्रमिक से सम्बन्धित अन्य प्रस्तावों (विन्दु संख्या—14, 15, 16, 25, 27, 28 इत्यादि) पर विचार करते हुए अपना निर्णय देगी।

12. प्रो० एच० एस० शुक्ल, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय एवं समन्वयक, रेट-2013 के पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2014 के मानदेय के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा शोध पात्रता परीक्षा (रेट)-2013 को एक प्रवेश परीक्षा मानते हुए समन्वयक को निर्धारित दर रू० 5000.00 (पाँच हजार) मानदेय दिये जाने की संस्तुति की गयी।
13. व्यवसाय प्रशासन के कर्मचारीगण के पत्र दिनांक 09.05.2014 द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग में कार्य परिषद से सृजित एवं स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारीगण को पदों के सापेक्ष वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।
(क) सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम व्यवसाय प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान शासनादेश फरवरी, 2000 के अनुसार न दिये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु वर्तमान में मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी।
(ख) विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत/नियत मानदेय पर (89 दिनों के लिये) कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी।
(ग) इसी प्रकार अन्य स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की संस्तुति की गयी।
(घ) मानदेय में उपरोक्तानुसार वृद्धि 01 अप्रैल, 2015 से लागू होगी।
14. सबल कक्ष के समस्त कर्मचारीगण ने अपने पत्र के माध्यम से पाली के अतिरिक्त दो मूल वेतन या रू० 20,000/- एवं परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पहुँचाने में जिन कर्मचारियों का सहयोग लिया जा रहा है उनके खाने पीने हेतु निश्चित धनराशि स्वीकृत करने पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि विश्वविद्यालय परीक्षा के प्रश्न पत्रों को केन्द्रों पर पहुँचाने में लगे कर्मचारियों को प्रतिराउन्ड रू० 500/- देय होगा। यह पारिश्रमिक आगामी वार्षिक परीक्षा 2014-15 से लागू होगा।
15. डा० कीर्ति पाण्डेय, अभिरक्षिका, महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास के पत्र दिनांक 26.08.2014 द्वारा महिला छात्रावासों में चल रहे मेस के वर्तमान चार्ज रू० 1500/- में रू० 500/- की वृद्धि वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में करने का निर्णय लिया गया पर विचार। (विन्दु संख्या-17)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उक्त का अनुमोदन किया गया साथ ही यह भी संस्तुति किया गया कि भविष्य में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से नियमित वृद्धि होती रहेगी।
16. प्रो० एम० सी० गुप्ता, अध्यक्ष, व्यवसाय प्रशासन विभाग, के पत्र दिनांक 10.10.2014 द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग में संचालित एम०बी०ए० एवं बी०बी०ए० पाठ्यक्रम की सत्र 2014-15 का बजट के अनुमोदन पर विचार।(विन्दु संख्या-18)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा व्यवसाय प्रशासन विभाग में संचालित एम०बी०ए० एवं बी०बी०ए० पाठ्यक्रम के सत्र 2014-15 के बजट को अनुमोदित किया गया।
17. सहायक अधीक्षक कमेटी की टीप दिनांक 27.09.2014 द्वारा पैसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरेपी, गोरखपुर डिजिटेशन के वाइबा की फीस निर्धारित करने पर विचार।(विन्दु संख्या-19)

सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा बैचलर इन पैथोलोजी (एम0एल0टी0) चतुर्थ वर्ष के लिए पूर्व से निर्धारित अध्यादेश के अनुसार रू0 5100.00 परीक्षा शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गयी।

18. डा0 डी0के0 सिंह, समन्वयक, पर्यावरण विज्ञान के पत्र द्वारा एम0एस-सी0 पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम के बजट सत्र 2014-15 पर विचार।(विन्दु संख्या-20)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम एम0एस-सी0 पर्यावरण विज्ञान के बजट सत्र 2014-15 को अनुमोदित किया गया।
19. श्री रामनरेश पाण्डेय, सहायक अधीक्षक केन्द्रीय ग्रन्थालयी के पत्र दिनांक 22.07.2014 द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग किये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान करने एवं श्री पुण्यात्मा शाही, बुक अटैण्डेण्ट, केन्द्रीय ग्रन्थालय के पत्र दिनांक 09.06.2014 द्वारा चिकित्सकीय कोष से अग्रिम भुगतान तथा श्री रवि प्रकाश वर्मा, कनिष्ठ सहायक, गणित एवं सांख्यिकी विभाग एवं श्री वेद व्यास मिश्रा, परिचर के द्वारा चिकित्सकीय कोष से आर्थिक मदद किये जाने के सम्बन्ध में विचार।(विन्दु संख्या-21)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी।
20. मे0 के0 सी0 प्रिन्टिंग एण्ड एलाएड वर्क्स द्वारा वर्ष 2012-13 में उत्तर पुस्तिका निर्माण एवं आपूर्ति निविदा में जमा सुरक्षा धनराशि को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त की गयी धनराशि रू0 5,00,000/- (पाँच लाख मात्र) को वापस किये जाने के सम्बन्ध में विचार।(विन्दु संख्या-22)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रकरण पर पूर्व में गठित समिति को उक्त प्रस्ताव इस आशय से संदर्भित किया गया कि समिति नियमानुसार परीक्षण कर उक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये।
21. गोरखपुर विश्वविद्यालय समबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (गुआक्टा) के अध्यक्ष डा0 राजेश चन्द्र मिश्र एवं महामंत्री डा0 एस0एन0 शर्मा के पत्र दिनांक 10.01.2015 द्वारा महाविद्यालयीय शिक्षकों की कुछ अतिआवश्यक माँगों के सम्बन्ध पर विचार।(विन्दु संख्या-23)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा निम्नवत संस्तुति की गयी—
(क) विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा में कार्य करने वाले सचलदल को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शर्तों एवं दरों के अनुरूप वाहन किराये पर लिये जाने की सुविधा अनुमन्य की गयी। यह लाभ केवल परीक्षा की तिथि के लिये ही लागू होगा तथा परीक्षा न होने की तिथि को कोई वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
(ख) मूल्यांकन कार्य के लिये विश्वविद्यालय केन्द्रों पर आने वाले स्थानीय शिक्षकों को रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से कन्वेन्स एलाउन्स के रूप में देय होगा।
(ग) परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों से जुड़े कार्यरत संयोजक को रू0 200.00 (दो सौ रूपये) प्रतिपाली एवं सहायक संयोजक को रू0 175.00 (एक सौ पचहत्त रूपये) प्रतिपाली का दर निर्धारित किया गया।
(घ) परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में संलग्न तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रू0 150.00 (एक सौ पचास) प्रतिपाली एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 90.00 (नब्बे रूपये) प्रतिपाली का दर निर्धारित किया गया।
(ङ.) उक्त दरें आगामी वार्षिक परीक्षा-2015 से लागू होगा।
22. परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2011 की कार्यवृत्त संख्या 1 (ङ) एवं दिनांक 24.01.2014 विन्दु सं0 1 (ख) पर विचार।(विन्दु संख्या-24)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते हुए निम्नवत संस्तुति की गयी।
(क) परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2011 की कार्यवृत्ति संख्या-1 (ङ.) के द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत/भूतपूर्व परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव परीक्षा समिति को इस सुझाव के साथ वापस किया गया कि छात्रहित में शुल्क वृद्धि किया जाना उचित नहीं होगा।
(ख) परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 24.01.2014 की कार्यवृत्ति सं0-1 (ख) को स्वीकार किया गया।

23. कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत पत्र में एम0एड0 एवं वी0पी0एड0 सत्र 2014-15 के प्रवेश परीक्षा में कक्ष परिप्रेक्षको एवं मुख्य कक्ष परिप्रेक्षको के पारिश्रमिक वृद्धि तथा प्रवेश परीक्षा आयोजन के दिन समन्वयक कार्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पाली वृद्धि पर विचार। (विन्दु संख्या-25)
सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पारिश्रमिक/मानदेय से सम्बन्धित गठित समिति को विचार करने एवं आख्या देने हेतु संदर्भित किया गया।
24. विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मेडीक्लेम पालिसी लागू करने के सम्बन्ध पर विचार। (विन्दु संख्या-26)
सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए कर्मचारियों के मेडीक्लेम पालिसी लागू किये जाने हेतु सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। मेडीक्लेम पालिसी के लिए देय प्रिमियम की धनराशि का 60 प्रतिशत अंशदान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा 40 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारियों के वेतन से देय होगा। इस निमित्त विश्वविद्यालय वार्षिक वजट 2015-16 में सम्बन्धित मद निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।
25. वार्षिक परीक्षा-2014 में सबल कक्ष से प्रश्न पत्र के बंडलों को निर्धारित केन्द्रों पर पहुँचाने में योगदान करने हेतु कतिपय कर्मचारियों को पाली भुगतान के सम्बन्ध में विचार। (विन्दु संख्या-29)
सम्यक विचारोपरान्त सबल कक्ष से प्रश्न पत्र के बंडलों को निर्धारित केन्द्रों पर पहुँचाने में योगदान करने वाले कर्मचारियों को वर्तमान पाली दर पर भुगतान अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी।
26. कुलसचिव महोदय के पत्रांक 2650/सा0प्र0/2013 दिनांक 21.06.2013 द्वारा शासन के पत्र सं0 1912/सत्तर-4-(7)/2004 उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 16.12.2011 द्वारा दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ कालेज में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विश्वविद्यालय द्वारा अपने संसाधनों से व्यय भार वहन किया जा सकता है अथवा नहीं? वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.08.2013 की कार्यवृत्त के विन्दु सं0 02 द्वारा निर्णय लिया गया जो निम्नवत है- "सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह निश्चय किया गया कि एकेडमिक स्टाफ कालेज में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर आने वाला व्यय-भार विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से वहन नहीं कर सकता। शासन से अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त ही व्यय-भार वहन किया जा सकता है" पर पुनर्विचार के सम्बन्ध पर विचार। (विन्दु संख्या-30)
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त पर होने वाले वित्तीय भार का आकलन कर लिया जाय तदोपरान्त आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।
27. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार।
- (क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.02.2014 के विन्दु सं0-4 पर गठित कमेटी की प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा उक्त रिपोर्ट के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया गया।
- (ख) शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी पाल्यों को प्रवेश परीक्षा/व्यक्तिगत परीक्षा/भूतपूर्व/बैंक पेपर/अंक सुधार के परीक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
सम्यक विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी पाल्यों को प्रवेश परीक्षा/व्यक्तिगत परीक्षा/भूतपूर्व/बैंक पेपर/अंक सुधार के परीक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
- (ग) बजट वर्ष 2015-16 में लाइब्रेरी एवं विभिन्न विभागों के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन हेतु मद निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

सम्यक विचारोपरान्त उक्त की स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्बन्धित मद निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर श्रेणीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गो० परीक्षा नियन्त्रक
सदस्य सदस्य सदस्य

प्र० सतीश कुमार
(का०प० द्वारा नामित, सदस्य)

कुलसचिव
सदस्य
-कुलपति
अध्यक्ष, वित्त समिति

वित्त अधिकारी
सचिव, वित्त समिति